



बोली आमंत्रण सूचना संख्या -01/2023

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर पर हरे चारे (Chopped) की खरीद हेतु सील बंद लिफाफे में बोली आमंत्रित की जाती है। फर्म को बोली के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी दर भरकर बंद लिफाफे में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 07.06.2023 को प्रातः 10 बजे से 21.06.2023 को मध्याह्न बाद 04:00 बजे तक जमा करवाई जा सकती है। बोली उसी दिन सांय 04:15 बजे क्रय कमेटी द्वारा खोली जायेगी। डांक एवं ई-मेल द्वारा प्रेषित बोली मान्य नहीं होगी। बोली विवरण, शर्तें व बोली प्रपत्र निम्नानुसार है:-

बोली विवरण

चारे का प्रकार	वांछित अनुमानित मात्रा	अनुमानित मूल्य	निविदा शुल्क (अदेय)	धरोहर राशि
(1) खरीफ- ज्वार	2500 क्विंटल	10.00 लाख	500/-रुपये	20,000/- रुपये
(2) रबी- जई/मक्की				

हरे चारों की खरीद हेतु खुली बोली की जानकारी, नियम एवं शर्तें:-

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर पर खुली बोली उपापन पद्धति के अन्तर्गत कटा हुआ (Chopped) हरे चारे की खरीद हेतु एकल स्तरीय Bid प्रक्रिया के अनुसार Financial Bid होगी। प्रत्येक पार्टी बंद लिफाफे में अपनी दर प्रस्तुत करेगी।

Bid में सफलता हेतु आवश्यक योग्यताएं/दस्तावेज

- केवल जी.एस.टी. नं. धारी पार्टी/फर्म ही अपनी दरें देवे। पार्टी को जी.एस.टी. नं. आवंटन की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ लगानी होगी।
- बोली प्रपत्र की निर्धारित राशि की (500/-रुपये) जमा रसीद।
- बोली हेतु निर्धारित धरोहर राशि की (20,000/-रुपये) जमा रसीद अथवा डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर अथवा सफल ऑनलाईन भुगतान रसीद का प्रिंट। पार्टी चाहे तो निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि एक गुश्त (20,500/- रुपये) भी जमा करवा सकती है। किंतु बोली प्रपत्र शुल्क जो कि 500/- रुपये है वह अदेय (Non-refundable) होगा।
- पार्टी/फर्म को पिछले दो वर्षों में (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 के मध्य) किसी भी राजकीय/विश्वविद्यालय के पशु फार्म पर हरा चारा सप्लाई करने के दस लाख रुपये या उससे अधिक के तीन आदेशों की प्रति संलग्न करनी होगी।

निविदा की अन्य आवश्यक शर्तें एवं नियम:-

- कोटेशन की जाने वाली दर में माल भाड़ा मय लोडिंग-अन लोडिंग पशुशाला के अंदर सम्मिलित होगा।
- निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि को नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में दिनांक 21.06.2023 को 04:00 बजे तक जमा करवाना होगा। बैंक ड्राफ्ट OFFICER INCHARGE LIVESTOCK RESEARCH (LRS) BIKANER के नाम से देय होगा। पार्टी द्वारा निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि का भुगतान जरीये ऑनलाईन ट्रांसफर/NEFT/RTGS/UPI आदि के माध्यम से किये जाने की स्थिति में केन्द्र के बैंक खाते में निर्धारित समय में राशि जमा होने के पश्चात ही पार्टी को बोली के योग्य माना जायेगा। ऑनलाईन संबंधी भुगतान के मामले में किसी भी प्रकार की त्रुटि या देरी के लिये पार्टी स्वयं जिम्मेदार होगी। ऑनलाईन भुगतान हेतु कार्यालय के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है-Name of Account Holder- OFFICER INCHARGE LIVESTOCK RESEARCH (LRS) BIKANER, AccountNo.61265622153, IFSCCode-SBIN0032052 SBI Branch- Karni Nagar (Lalgarh) Bikaner
- हरे चारे की आपूर्ति हेतु आदेश राक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार होगा। आदेश प्राप्ति के 05 दिन के भीतर हरे चारे की आपूर्ति प्रारम्भ करनी होगी। ऐसा ना होने पर बोली स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा पार्टी की धरोहर राशि को जप्त कर लिया जायेगा।

(Signatures)



Livestock Research Station, Bikaner
Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner

Email: lrsbikaner@gmail.com

No. LRS/BKN/2023-24/

Dated

4. इच्छुक पार्टी/फर्म को बोली के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी दर भर कर बंद लिफाफे में दिनांक 21.06.2023 को महाहवन बाद 04.00 बजे तक जमा करवाना होगा। बोली उसी दिन सांय 04.15 बजे कमेटी द्वारा खोली जायेगी। डाक एवं ई-मेल द्वारा प्रेषित बोली मान्य नहीं होगी।
5. हरे चारे की न्यूनतम दर कय कमेटी को बाजार भाव के अनुसार उचित प्रतिक्रिया नहीं होने की स्थिति में कय कमेटी द्वारा न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले Bidder से नेगोसिएशन किया जा सकता है। एक से अधिक पार्टियों की दर न्यूनतम आने की स्थिति में भी नेगोसिएशन किया जायेगा।
6. हरे चारे की मात्रा को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
7. बिल के साथ कम्प्यूटरीकृत धर्म कांटे की पर्ची लगाना अनिवार्य है।
8. सफल बोलीदाता को स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरान्त रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के पक्ष में अनुबंध भर कर सात दिनों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. बोली की दर 31.05.2024 तक अथवा रुपये 10.00 लाख (दस लाख रुपये), जो भी पहले हो तक मान्य होगी। यद्यपि दोनों पक्ष सहमत हो तो बोली को आगामी छः माह तक बढ़ाया जा सकता है।
10. पार्टी/फर्म को माल का भुगतान माल प्राप्ति के बाद प्रस्तुत बिल में जी.एस.टी. नंबर अंकित होने पर ही किया जायेगा।
11. सप्लाई किया गया हरा चारा नया, कटा हुआ एवं मिट्टी रहित होना चाहिये। हरे चारे की गुणवत्ता संतोषप्रद न होने पर पार्टी/फर्म को उसे वापस अपने खर्च पर ले जाना होगा।
12. प्रति दिन आपूर्ति किये जाने वाले हरे चारे की मात्रा को किसी भी समय घटाने व बढ़ाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
13. प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर को किसी भी समय बिना किसी कारण बताये बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।
15. पार्टी/फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
16. पार्टी हरे चारे की आपूर्ति केन्द्र की पशुशाला के दरवाजों में माल सहित आ सकने वाले वाहन के द्वारा ही करेगी। हरे चारे के वाहन से संस्थान के दरवाजे या अन्य किसी भी नुकसान की स्थिति में नुकसान की भरपाई पार्टी से वसुली जायेगी।
17. धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
18. बोली की दर अंको एवं शब्दों में भिन्न होने की स्थिति में न्यूनतम को ही संज्ञान में लिया जायेगा।
19. विशेष परिस्थिति में बोली खोलने कि दिनांक एवं समय में परिवर्तन संभव है। जिसकी सूचना प्रकाशित कर दी जायेगी।


प्रभारी अधिकारी







